

बनाम श्रीमती राजेश्वरी

नाम न्यायालय

दस्तावेज क्रमांक 107/2018

केस संख्या

107/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		<p>दिनांक <u>13/7/2020</u> को पत्रावली पेश हुई            पी.ओ.सा. अन्वय/अन्य राजकार्य पर/कहासंग है।            अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>10/08/2020</u> को पेश हो।</p> <p>आज दिनांक <u>10/08/2020</u> को पत्रावली पेश हुई            पी.ओ.सा. अन्वय/अन्य राजकार्य पर/कहासंग है।            अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>07/09/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>07/09/2020</u> पत्रावली पेश हुई। वकील <u>उत्तमपद</u>            उक्त वकील वादी उपायान हेतु शपथ            अर्पण कि प्रकृत में शपथित हो रहा है।            डा. 15/08/20 को लाना हुआ जाने। पत्रावली            वादी द्वारा अर्पित की है। दिनांक <u>24/09/2020</u>            को पेश है।</p> <p>सहायक कलक्टर            जयपुर शहर प्रथम</p>	
	<p><u>राजेश्वरी</u>  <u>24/09/2020</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील <u>उत्तमपद</u> एवं वादी            डा. 15/08/20 को लाना हुआ जाने। पत्रावली            वादी द्वारा अर्पित की है। दिनांक <u>24/09/2020</u>            को पेश है।</p> <p>उक्त वकील वादी एवं वादी ने            उपस्थित हेतु एक शपथ पत्र वाद विद्वा            वाले वाद प्रकृत में वादी एवं वकील            वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेख            अर्पण किया है। कि प्रकृत को वादी को            जाने नही चलाना चाहते हैं। और निरपेक्ष            ही विवाद का निपटारा करना चाहते हैं। अतः            शपथ पत्र स्वीकार फरमान जाकर वाद का            विद्वा मिले जाने के अतिरिक्त प्रदान करने वादी            की पहचान वादी के अधिनस्थान के की। तथा            प्रतिवादी (नाम) 02, 3, 04 के अधिनस्थान में की            No objection विना है। वादी ने अपनी            पहचान में आधार वादी की शपथ की है।</p>	<p><u>राजेश्वरी</u>  <u>I. Indran</u>  <u>J. Indran</u></p>

No objection  
(M)  
24-9-20

# फर्द अहकाम

शजिद बनाम मंगलपती के

आपत का मसला जयपुर शहर

म न्यायालय

स संख्या

दिनांक - 07/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>हमने वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त प्राप्त पत्र विद्वा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा 02,03,04 द्वारा पत्रावली के आदेशों के अंतर्गत पत्र विद्वा पर No objection लख पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया कि वादी, वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी द्वारा 02,03,04 के वाद विद्वा प्राप्त पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली का वादी, वादी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त वाद विद्वा के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा वाद विद्वा प्राप्त पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पर नभर से नभर के पत्रावली के अंतर्गत वाद विद्वा के अंतर्गत है।</p>	

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम